बुन्देलखण्ड अभियाँत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
झाँसी

प्रशासकीय परिषद की 43वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	43 वीं
स्थान	:	सभागार, प्रशासनिक भवन बी0 आई0 ई0 टी0 झाँसी।
दिनांक	:	31 जुलाई, 2025
समय	:	अपराह्न : 11.30 बजे

बुन्देलखण्ड अभियाँत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झाँसी
की
प्रशासकीय परिषद की 43वीं बैठक का कार्यवृत्त

बुन्देलखण्ड अभियाँत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झाँसी की 43वीं बैठक आज दिनांक 31.07.2025 को अपरान्ह् 11.30 बजे माननीय अध्यक्ष, प्रो0 (सेवानिवृत्त) कृपा शंकर, निवर्तमान प्रो0 आई0आई0टी0, कानपुर एवं पूर्व कुलपति डा0 ऐ0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ की अध्यक्षता मे संस्थान के सभागार मे सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने आफ लाईन/ आन लाईन प्रतिभाग किया :-

1.	**मा0 प्रो0 कृपा शंकर** पूर्व कुलपति डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।	....	अध्यक्ष
2.	**श्री अजीज अहमद** **विशेष सचिव** प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ -226001	....	उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव प्रा0शि0)
3.	**श्री अनिल कुमार मिश्रा** अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन झाँसी मण्डल, झाँसी।	....	सदस्य (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन)
4.	**प्रो0 जे0 पी0 पाण्डेय** कुलपति डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ।	....	सदस्य
5.	**प्रो0 के0 के0 पंत** निदेशक, आई0आई0टी0, रुडकी -247667	....	सदस्य
6.	**श्री अजीज अहमद** **निदेशक** प्राविधिक शिक्षा, उ0 प्र0, कानपुर।	....	सदस्य
7.	**डा0 राजेश सत्यमूर्ति** प्रोफेसर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर कानपुर-208016	....	सदस्य

8. डा0 एस0 एन0 सिंह .... सदस्य
निदेशक
आई0आई0आई0टी0एम0,
ग्वालियर
एवं प्रोफेसर, आई0आई0टी0, कानपुर

9. डा0 यशपाल सिंह .... सदस्य
प्रोफेसर
कम्प्यूटर साइंस इंजी0 विभाग
बी0आई0ई0टी0,
झाँसी।

10. डा0 डी0सी0 धुबकरिया .... सदस्य
प्रोफेसर
ई0 एण्ड सी0 विभाग
बी0आई0ई0टी0,
झाँसी।

11. प्रो0 प्रताप सिंह .... सदस्य
पूर्व प्राचार्य,
एम0एम0एम0ई0सी0, गोरखपुर
टी–05/402, टावर नं0 5
पार्श्वनाथ मनोरमा अपार्टमेन्ट (पी–3 गोल सेक्टर)
गौतमबुद्ध नगर।

12. प्रो0 आर0 एस0 यादव .... सदस्य
प्रोफेसर,
कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी0 विभाग
एम0एन0एन0आई0टी0
प्रयागराज।

13. प्रो0 कुलदीप सहाय .... सदस्य
प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग
आई0ई0टी0, सीतापुर रोड,
लखनऊ।
एवं निदेशक, आर0ई0सी0, बस्ती

14. प्रो0 आशीष कुमार सिंह .... सदस्य
प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजी0 विभाग
एम0एन0एन0आई0टी0
प्रयागराज।

15. प्रो0 जितेन्द्र कुमार शर्मा सदस्य सचिव
निदेशक, बी0आई0ई0टी0,
झाँसी।

जो सदस्य उपस्थित न हो सके :-

1. प्रो0 मनीन्द्र अग्रवाल .... सदस्य
निदेशक, आई0आई0टी0,
कानपुर -208016
2. प्रो0 रघुराज सिंह .... सदस्य
प्रोफेसर,
कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी0 विभाग
एच0बी0टी0यू0,
कानपुर।
3. इं0 अनुराग सचान .... सदस्य
पूर्व महाप्रबंधक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
नई दिल्ली।

43.01 **प्रशासकीय परिषद की दिनांक 04 फरवरी, 2025 को सम्पन्न हुई 42वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।**

परिषद ने विचारोपरान्त प्रशासकीय परिषद की दिनांक 04.02.2025 को सम्पन्न हुई 42 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

43.02 **प्रशासकीय परिषद की दिनांक 04 फरवरी, 2025 को सम्पन्न हुई 42वीं बैठक मे लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण से परिषद को अवगत कराना।**

परिषद की दिनांक 04.02.2025 को सम्पन्न हुई 42 वीं बैठक मे लिए गये निर्णयों की कृत कार्यवाही से परिषद अवगत हुई। परिषद द्वारा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

43.03 **संस्थान की वार्षिक प्रगति आख्या से परिषद को अवगत कराना।**

परिषद संस्थान की प्रगति आख्या से अवगत हुई।

43.04 **संस्थान के निदेशक के पद पर प्रो0 जितेन्द्र कुमार शर्मा की हुई नियुक्ति से परिषद को अवगत कराना।**

परिषद शासकीय/ संस्थान के कार्यालय ज्ञापों के अनुक्रम मे प्रो0 जितेन्द्र कुमार शर्मा, विभागाध्यक्ष, सिविल पेट्रोलियम एवं पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान) द्वारा संस्थान के निदेशक पद पर दिनांक 30.03.2025 मे कार्यभार ग्रहण किये जाने से परिषद अवगत हुई। सभी सदस्यों द्वारा प्रो0 जितेन्द्र कुमार शर्मा के कार्यभार ग्रहण पर हर्ष व्यक्त किया गया।

43.05 संस्थान की 41वीं वित्त समिति के कार्यवृत्त परिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

संस्थान की वित्त समिति की सम्पन्न हुई 41वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए परिषद ने अपना अनुमोदन प्रदान किया।

परिषद अवगत हुई उक्त वित्त समिति मे माह जुलाई, 2025 तक के वेतन आहरण की स्वीकृति है। परिषद ने निर्देशित किया कि माह जुलाई, 2025 से छात्रों की फीस शुल्क से प्राप्त धनराशि से वेतन भत्ते इत्यादि का भुगतान किया जाना सम्भव है। जिसके लिए अध्यक्ष, वित्त समिति से अनुमति प्राप्त कर तद्‌नुसार कार्यवाही की जाए।

43.06 संस्थान की 58वीं केन्द्रीय कय समिति के कार्यवृत्त परिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

संस्थान की केन्द्रीय कय समिति की सम्पन्न हुई 58वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए परिषद ने अपना अनुमोदन प्रदान किया।

43.07 संस्थान की 34वीं भवन निर्माण समिति के कार्यवृत्त परिषद के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

संस्थान की भवन निर्माण समिति की सम्पन्न हुई 34वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए परिषद ने अपना अनुमोदन प्रदान किया।

43.08 संस्थान की 13वीं एकेडमिक काउंसिल के कार्यवृत्त परिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

संस्थान की एकेडमिक काउंसिल की सम्पन्न हुई 13वीं बैठक के कार्यवृत्त से परिषद अवगत होते हुए परिषद ने अपना अनुमोदन प्रदान किया।

43.09 **<u>शासन द्वारा तैयार माडल बायलॉज को संस्थान हेतु अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</u>**

शासन द्वारा तैयार माडल बायलॉज को परिषद द्वारा संस्थान हेतु अंगीकार किया गया साथ ही परिषद द्वारा निदेर्शित किया गया कि, भविष्य मे शासन द्वारा उक्त बायलॉज में यदि कोई संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो संस्थान द्वारा स्वतः ही अंगीकार मानते हुए परिशीलन किया जाए।

43.10 **<u>संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंश एण्ड डाटा सांइस का नया स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम वर्ष 2026-27 से प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</u>**

परिषद द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंश एण्ड डाटा सांइस का पाठ्यक्रम वर्ष 2026-27 से प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी तथा उक्त विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श करते हुए निदेर्शित किया कि पाठ्यक्रम अतिमहत्वपूर्ण है। अतः अन्य संस्थाओं जिनमे उक्त कोर्स संचालित है उनसे समन्वय कर संशोधित स्लैबस/लैब सज्जा इत्यादि-इत्यादि का अध्ययन कर परीक्षित प्रस्ताव आगामी प्रशासकीय परिषद में प्रस्तुत किया जाए।

परिषद ने उक्त पाठ्यक्रमों के बी0ओ0एस0 के गठन का प्रस्ताव का भी अनुमोदन प्रदान किया।

43.11 **<u>संस्थान मे संचालित यू0जी0/पी0जी0 पाठ्यक्रमों की ट्यूशन फीस मे वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</u>**

परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव के साथ सपठित शासनादेश संख्या 3082/सोलह-1-2010-14(7)/2010 दिनांक 06.09.2010 के बिन्दु-7 मे वर्णित व्यवस्था से अवलोकित होते हुए निदेर्शित किया कि, ट्यूशन फीस में वृद्धि के सम्बंध में शासन से दिशा निर्देश प्राप्त कर सम्यक कार्यवाही की जाए।

43.12 <u>छात्रावास शुल्क (रूम रेन्ट) मे वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</u>

परिषद द्वारा छात्रावास शुल्क (रूम रेंट) में वृद्धि किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

43.13 <u>डा0 विमल किशोर, एसोसिएट प्रोफेसर प्रयुक्त विज्ञान एवं मान0 विभाग द्वारा अन्यत्र की गयी सेवाओं को कैश के लाभार्थ गणना में शामिल किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</u>

परिषद द्वारा कैश के लाभार्थ अन्यत्र की सेवाओं को गणना मे शामित किए जाने हेतु तीन सदस्यीय समिति के नामांकन का प्रस्ताव निदेशक द्वारा अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद को अनुमोदनार्थ प्रेषित किए जाने हेतु निदेर्शित किया गया। गठित समिति की सम्बंधित शासनादेशों के आलोक में प्राप्त स्पष्ट संस्तुति को आगामी प्रशासकीय परिषद की बैठक में रखे जाने हेतु निदेर्शित किया गया।

43.14 <u>अतिथि व्याख्याताओं को 11 महीने की अवधि के अनुबंध पर रखे जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</u>

परिषद अवगत हुई कि प्रति व्याख्यान रखे जाने वाले अतिथि व्याख्याताओं को एक्रीडिटेशन हेतु NAAC/NBA/NIRF/SIRF द्वारा ग्राह्य/शामिल नहीं किया जाता है। संस्थान के विभागो का एक्रीडिटेशन होना नितांत आवश्यक है।

परिषद द्वारा उक्त पर विचार विमर्श करते हुये निर्देशित किया कि अतिथि व्याख्याताओं को सहायक प्रोफेसर के समरूप रू0 57700/- संचित मानदेय पर 11 माह के अनुबंध पर रखे जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये, तथा एस0एफ0एस0 के पाठ्यक्रमों मे भी शासन से प्राप्त दिशा निर्देशन के क्रम में अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद की स्वीकृति से अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

43.15 **<u>डा० जे०पी० सैनी, प्रोफेसर, ई० एण्ड सी० सम्प्रति कुलपति, एम.एम. एम.यू.टी., गोरखपुर द्वारा अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के अपने विकल्प को 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष किए जाने हेतु किया गया अनुरोध परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।</u>**

परिषद द्वारा उक्त पर विचार करते हुये निर्देशित किया कि जिन संकाय सदस्यों द्वारा 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर सेवानिवृत हेतु अनुरोध किया है। उन्हें इस शर्त के साथ 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर सेवानिवृत्त किये जाने हेतु सहमति प्रदान की कि, उनसे एक नया विकल्प पत्र एवं एक शपथ–पत्र भी इस आशय का प्राप्त किया जाए कि 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर ग्रेच्युटी का लाभ शासनादेश के निर्गत होने के क्रम में ही अनुमन्य होगा।

43.16 **<u>प्रो० आर०एन० वर्मा द्वारा ए०जी०पी० 9000/ एवं ए०जी०पी० 10000 का लाभ पूर्वगामी तिथि से दिये जाने हेतु दिया गया प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।</u>**

प्रो० आर०एन० वर्मा द्वारा पूर्वगामी तिथि से कैश का लाभ दिये जाने हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर परिषद द्वारा विचार करते हुये तीन सदस्यीय समिति का गठन अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद से कराते हुये अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया तथा समिति की प्राप्त संस्तुतियों को आगामी प्रशासकीय परिषद में रखे जाने हेतु निर्देशित किया।

43.17 **<u>सेवानिवृत्त शिक्षणेत्तर कार्मिकों की सेवायें संविदा पर लिये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</u>**

परिषद द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों को सम्बन्धित शासनादेशों के परिशीलन में संविदा पर रखे जाने का प्रस्ताव वित्त समिति से स्वीकृत कराते हुये सम्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया।

परिषद द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष आउट सोर्स से कार्मिकों को लिए जाने के पर भी सहमति प्रदान की।

43.18 संस्थान से गृहकर के रूप मे नगर निगम द्वारा ली जा रही वार्षिक टैक्स को पुनरीक्षण उपरान्त कम किये जाने का प्रस्ताव परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

नगर निगम एवं जल संस्थान, झाँसी द्वारा संस्थान पर अधिरोपित वार्षिक गृहकर/जलकर में की गयी कमी के प्रस्ताव से परिषद अवलोकित हुई। उपाध्यक्ष प्रशासकीय परिषद द्वारा निदेशक के उक्त सराहनीय कार्य हेतु निर्गत किये गये प्रशंसा पत्र संख्या–अर्द्धशा0प.स0–मेमो/ए.सी.एस.टी.ई./2025 दिनाँक 31.07.2025 से अवलोकित होते हुये परिषद द्वारा भी निदेशक की भूरि–भूरि प्रशंसा की।

43.19 डा0 शहनाज अयूब द्वारा संस्थान मे स्थापित इंक्यूवेशन सेन्टर के कार्यो मे गतिरोध किये जाने विषयक प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा डा0 शहनाज अयूब द्वारा संस्थान में स्थापित इनोवेशन सेन्टर के कार्यो में किये जा रहे गतिरोध के सम्बन्ध में तीन सदस्यीय समिति का गठन अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद से कराते हुये अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया तथा समिति की प्राप्त संस्तुतियों को आगामी प्रशासकीय परिषद में रखे जाने हेतु निर्देशित किया।

43.20 संस्थान से सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त एवं मृत्यु की स्थिति में कार्मिकों को अपरिहार्यता के कम में संस्थान के आवासों मे अध्यासन के दृष्टिगत सामान्य किराया प्रभावी किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद ने सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त एवं मृत्यु की स्थिति में कार्मिकों को संस्थान के आवासों में अध्यासन की सुविधा उत्तर प्रदेश के शासनादेशों के परिशीलन में अमल में जाने हेतु निर्देशित किया। उक्त व्यवस्था प्रभावी किये जाने तक पूर्व व्यवस्था यथावत रहेगी।

43.21 **संस्थान के परीक्षा नियम एवं मानदेय का प्रावधान डा0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के समान किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद द्वारा संस्थान के परीक्षा नियमों पर अपनी सहमति प्रदान की। परिषद द्वारा तदवत मानदेय पर विचार विमर्श करते हुये निर्देशित किया कि मानदेय का प्रस्ताव संस्थान की वित्त समिति में रखा जाये तदोपरांत अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद की स्वीकृति के उपरांत अमल में लाया जाये।

43.22 **संस्थान के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु पावर ग्रिड, राष्ट्रीकृत बैंक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन इत्यादि से सी.एस.आर. के अन्तर्गत यथोचित सहयोग हेतु संदर्भित किये गये प्रस्ताव परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।**

संस्थान के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु संस्थान द्वारा विभिन्न पी0एस0यू0 से सी.एस.आर. के अन्तर्गत आर्थिक सहयोग हेतु भेजे गये प्रस्तावों से परिषद अवगत हुई।

43.23 **संस्थान मे नये शैक्षणिक भवन के निर्माण के साथ-साथ छात्रावासों, टायलेट ब्लाकों के रिनोवेशन की शासन द्वारा दी गयी स्वीकृति परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।**

संस्थान मे नये शैक्षणिक भवन (ए0आई0 एण्ड एम0एल) के निर्माण, छात्रावासों (साकेत एवं पंचवटी), एकेडमिक भवनों के टायलेट ब्लाकों के रिनोवेशन की शासन द्वारा दी गयी स्वीकृति से परिषद अवगत हुयी।

43.24 **अभातशिप द्वारा उद्धृत की गई कमियों के अंतर्गत एकेडमिक भवनों मे लिफ्ट, अग्निशमन संयत्रों की स्थापना एवं अनुरक्षण विषयक शासकीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किये गये प्रस्ताव, परिषद के विचारार्थ/अवलोकनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद द्वारा एकेडमिक भवनों मे लिफ्ट, अग्निशमन संयत्रों की स्थापना एवं अनुरक्षण के साथ-साथ अन्य आवश्यक कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु शासन को भेजे गये प्रस्तावों से परिषद अवगत हुई।

43.25 **संस्थान से अन्यत्र सेवायोजन हेतु उचित माध्यम से भेजे जाने वाले आवेदनों की सीमा के निर्धारण का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

उक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुये परिषद ने निर्णय लिया कि संकाय सदस्यों के आवेदनों को अग्रसारित किये जाने हेतु परिवीक्षा अवधि के उपरांत एक वर्ष में चार आवेदन पत्रों को ही अग्रसारित किया जाये या एन0ओ0सी0 निर्गत की जाये। विशेष परिस्थितियों में चार से अधिक आवेदनों को अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद की अनुमति के उपरांत ही अग्रसारित किये जाने हेतु निर्देशित किया।

43.26 **संस्थान मे संचालित कंसल्टेंसी वर्क से प्राप्त आय को संस्थान एवं विभागों के विकास हेतु उपयोग मे लाये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

उक्त पर विचार करते हुये परिषद द्वारा निर्देशित किया कि कंसल्टेंसी वर्क से प्राप्त आय को संस्थान एवं विभागों के विकास हेतु उपयोग में लाने हेतु संस्थान की वित्त समिति से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में कार्यवाही की जाये।

43.27 **विभिन्न विद्याओं में प्रवेश क्षमता में वृद्धि होने के क्रम में वर्ष 2025-2026 से नया स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम AI & ML 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता से प्रारम्भ किये जाने हेतु कक्षाओं के लिए आवश्यक फर्नीचर क्रय किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

उक्त पर विचार करते हुये परिषद द्वारा निर्देशित किया कि वित्त समिति द्वारा कार्यालय मद मे स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार अपेक्षित क्रय कार्यवाही की जाए।

43.28 **संस्थान मे नव निर्मित प्रथम वर्षीय छात्रावास के नामकरण एवं छात्रावास के आवंटन हेतु आवश्यक फर्नीचर के क्रय का प्रस्ताव परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद द्वारा नव निर्मित प्रथम वर्षीय छात्रावास का नाम रखे जाने पर सहमति प्रदान की साथ ही उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद को छात्रावास के नामांकरण हेतु अधिकृत किया।

उक्त छात्रावास हेतु आवश्यक फर्नीचर के क्रय की कार्यवाही वित्त समिति द्वारा छात्रावास अनुरक्षण मद मे स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार किये जाने हेतु परिषद द्वारा निर्देशित किया गया।

43.29 <u>संस्थान के संकाय सदस्यों द्वारा एकेडमिक भवनों मे स्थापित संकाय सदस्य कक्षों का अनावश्यक/ अनाधिकृत रूप से अधिग्रहण किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।</u>

संकाय सदस्यों द्वारा अनावश्यक/अनाधिकृत रूप से अधिग्रहित किए गये कक्षों की वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बंधित संकाय सदस्यों को प्रश्नगत कक्षों को नियत समय सीमा के अन्तर्गत खाली किए जाने हेतु नोटिस निर्गत किए जायें। प्रतिकूलता की स्थिति में नियमानुसार खाली कराये जाने की कार्यवाही अमल मे लायी जाये।

43.30 <u>संस्थान हेतु टोयोटा इनोवा हाईक्रास (हाईब्रिड) माडल वाहन क्रय किये जाने का प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</u>

परिषद द्वारा शासनादेशों के अनुक्रम में नये वाहन के क्रय की सहमति प्रदान की। नये वाहन के क्रय होने तक आवागमन हेतु आवश्यक टैक्सी वाहन जैम पोर्टल के माध्यम से लिए जाने हेतु निर्देशित किया।

साथ ही पुराने वाहन को स्थानीय स्तर के कार्यो हेतु जैसे– छात्रों की आकस्मिक आवश्यकता, शासन प्रशासन स्तर पर स्थानीय बैठकों मे संस्थान के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु उपयोग मे लाये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की। पुराने वाहनो को निष्प्रयोज्य घोषित होने के उपरान्त इससे प्राप्त पैसा राजकोष में जमा कराये जाने पर वित्तीय नियमों के अंतर्गत नये वाहन क्रय किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई।

43.31 <u>संस्थान की सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को नवीनीकृत किये जाने का प्रमाण–पत्र परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।</u>

परिषद सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण से अवगत हुई।

43.32 **<u>सेवानिवृत्त प्रो0 संजय अग्रवाल की प्रवक्ता पद पर हुई नियुक्ति के सम्बंध में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा लगाई गयी आपत्ति का प्रकरण शासकीय निर्देशन के क्रम में परिषद के सम्यक विचारार्थ प्रस्तुत।</u>**

प्रो0 संजय अग्रवाल (सेवानिवृत्त) की प्रवक्ता पद पर हुई नियुक्ति के सम्बंध में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा लगाई गयी आपत्ति एवं अद्यतन कृत कार्यवाही से अवगत होते हुए परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि, उक्त प्रकरण का निस्तारण शासन से दिशा निर्देश प्राप्त कर किया जाये।

43.33 **<u>श्री दत्त प्रसाद सिंह की सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर हुई नियुक्ति पर स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा लगायी गयी आपत्ति का प्रकरण शासकीय निर्देशानुक्रम में सम्यक विचारार्थ प्रस्तुत।</u>**

प्रश्नगत प्रकरण पर पूर्व प्रशासकीय परिषद की बैठक के बिन्दु संख्या 8.04(क) पर हुए निम्न निर्णय से परिषद अवगत हुई –

"श्री दत्त प्रसाद सिंह, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में निर्णय लिया कि इस नियुक्ति को बि0सं0 8.03 में श्री अनिल कुमार की नियुक्ति के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुरुप ही कार्यवाही की जाये।"

परिषद अवगत हुई कि वर्तमान में शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से प्रो0 अनिल कुमार की नियुक्ति के सम्बंध में जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः परिषद द्वारा निर्देशित किया कि, प्रो0 अनिल कुमार की प्रचलित जाँच कार्यवाही निर्णीत होने के उपरान्त तद्‌नुसार कार्यवाही अमल मे लायी जाये।

43.34 **<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार एवं स्वीकृति।</u>**

1. परिषद अवगत हुई कि संस्थान के प्रो0 दीपक नगरिया शासकीय/डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्रा0 वि0 विद्यालय के आदेशों/निर्देशों के कम में दिनांक 04.04.2025 से 03.04.2028 तक के लिए परीक्षा नियंत्रक के पद पर डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्रा0 वि0 विद्यालय, लखनऊ मे प्रतिनियुक्ति/सेवास्थानान्तरण पर सेवारत हैं।

2. संस्थान द्वारा एआईसीटीई को मोडरोव प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भेजे गये तीन प्रस्तावों से परिषद अवगत हुई। जिसमे संस्थान द्वारा प्रति प्रोजेक्ट रू0 3.00 लाख वहन किए जाने से भी परिषद अवगत हुई।

(श्री अजीज अहमद)
प्रतिनिधि
उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद
बीआईईटी, झाँसी
एवं
अपर मुख्य सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग
उ0प्र0 शासन, लखनऊ

(प्रो0 जितेन्द्र कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव, प्रशासकीय परिषद
एवं
निदेशक, बीआईईटी, झाँसी।

(प्रो0 कृपाशंकर)
अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद
बीआईईटी, झाँसी।